न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 46 / 2011
कैम्प कोर्ट :– ग्राम पंचायत बाघसूरी (न्याय आपके द्वार अभियान 2018)

उनवान

1. फेफा पुत्र मांगू जाति–गुर्जर नि0 कानपुरा नसीराबाद
— वादी :– जरियें (सुखदेव चौधरी)

बनाम

1. रतनलाल पि0 मूलचन्द,
2. रामकन्या पत्नी रामपाल,
3. भागचन्द,
4. राजेन्द्र,
5. राकेश पि0 रामपाल,
6. माना पुत्री रामपाल जाति–महाजन नि0 कानपुरा नसीराबाद,
7. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
8. रंगलाल पुत्र मांगू जाति–गुर्जर नि0 कानपुरा नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज0 पैरोकार
8 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 4.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1414 मिन रकबा 3–3–0 की आराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.12.87 को वादी व प्रफार्मा प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादीगण के पिता व पति से कय की थी। उक्त विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में आज दिनांक तक नही हुयी है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः हाल खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.51 की आराजी का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।
वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व नोटिस तामीली के बावजूद उपस्थित नही होने के करण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नोटिस अखबार में प्रकाशित कराये गये। प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 8 ने जरियें अधिवक्ता इकबालिया जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किया। एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार रामपाल, रतनलाल पुत्र मूलचन्द जाति महाजन ने दिनांक 11.12.87 को जरियें पंजीकृत विकय पत्र वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को विकय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी जरियें

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

बैनामा नामान्तरकरण संख्या 1048 दिनांक 21.5.87 से विक्रेतागण के नाम दर्ज हुयी थी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.51 रामपाल, रतनलाल पि0 मूलचन्द महाजन के नाम ही दर्ज है। विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वाद के खण्डन हेतु पत्रावली में कोई साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध नही है। विक्रय पत्र का मिलान राजस्व अभिलेख से भी होता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार शेष नही रहता है।

अतः ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय कर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 4.6.18 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
नसीराबाद
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

न्याय आपके द्वार 2018

कैम्प कोर्ट :– ———

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

फेमा बनाम रतनलाल

दावा बाबत :– 88, 188, 92अ राज. का. अधि0 1955, 136 भू रा.अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 46 / 2011
पेश करने की दिनांक – 17.3.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई हीरालाल माली राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज माह सन् **2018** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद